न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **अमितेश कुमारी आर.जे.एस.**
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या :– 172/2021(सीआईएस नंबरः172/2021)

राजस्थान राज्य...

अभियोगी

बनाम

01. नाथुलाल पुत्र गोपीलाल
02. रंगलाल पुत्र नाथुलाल
03. दुर्गालाल पुत्र नाथुलाल
04. पुरीलाल पुत्र भैरूलाल
05. प्रकाश पुत्र भैरूलाल
06. देवीलाल पुत्र गोपीलाल
07. लालचन्द पुत्र कन्हीराम
08. गोरधन पुत्र लालचन्द निवासीगण रघुनाथपुरा थाना रायपुर जिला झालावाड़ राज.

.......अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा– 143,323,341,504,447,427 भा.दं.सं. सपठित धारा 149 भा.दं.सं.

उपस्थित :–
1. विद्वान अभियोजन अधिकारी–राज्य की ओर से उपस्थित।
2. विनोद शर्मा विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांकः–07.05.2026**

1. हस्तगत प्रकरण का उद्भव इस्तगासा धारा 156 (3) सीआरपीसी के जरिये डाक फरियादी प्रभुलाल पुत्र मांगीलाल के द्वारा इस आशय का पेश किया की।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उसके नाम से दिनांक 5.10.2011 में पंचायत रायपुर द्वारा एक प्लाट का पट्टा जारी हुआ था, जिसका कुल क्षेत्रफल 35*70–2450 वर्ग गज का है तथा पट्टा क्रमांक 2373 है, जो ग्राम रघुनाथपुरा रायपुर में स्थित है। उस प्लाट में जब से ही वह काबिज है तथा यह प्लोट उसके नाम से है। वह इस प्लोट को उसके बच्चे दूधालाल के प्रधानमंत्री आवास आया है। वह इस प्लाट में मकान बना रहा था, तो वहां पर उसके प्लाट पर मुलजिमान नाथूलाल, रंगलाल, दुर्गालाल, पूरीलाल, प्रकाश, देवीलाल, गोरधन थाना रायपुर के दिनांक 2.8.2020 रविवार को शाम 6 बजे करीब उसके प्लाट में जबरन घुस आये और आते ही उसे व उसके बच्चे दूधालाल को मां बहिन की गालिया दी और कहा कि तुम्हे मकान नहीं बनाने देगे तथा वहां पर रखा सारा सामान गेंती, फावड़ा, सब्बल, तगारी सभी सामान

चुराकर ले गये और उसे व उसके लड़को को हाथों से मारने लगे तो उन्होंने चिल्लाया तो उसका भई बापू लाल पुत्र मांगीलाल, कौशल्याबाई पत्नी प्रभुलाल दौड़ कर बचाने आये नहीं तो यह मुलजिमान उन्हें जान से मार देते और उसे धमकी दी कि अगर यह प्लाट नहीं छोड़ोगे तो वह उन्हें धारा 3 एस सी/एसटी एक्ट के मामले में धारा 3 लगाकर फंसा देगे।..............इत्यादि।

3. प्रार्थी की तहरीरी रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 04/2021 पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 143,323,341,504,447,427 भा.दं.सं. में दिनांक 24.03.2021 को आरोप पत्र पेश किया, जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त दिनांक को उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी किया गया।

4. दिनांक 24.03.2021 को अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 143,323,341,504,447,भा.दं.सं. का आरोप पृथक में विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर विचारण प्रारंभ किया गया।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने समर्थन में निम्न गवाहान को परीक्षित किया गयाः–

क्रम. संख्या	गवाह का नाम	दिनांक
पी.ड.01	कौशल्या बाई	10.11.2021
पी.ड.02	प्रभुलाल	27.06.2023
पी.ड.03	दुधालाल	27.06.2023
पी.ड.04	चन्द्रशेखर शर्मा	31.10.2023
पी.ड.05	बापूलाल	31.10.2023
पी.ड.06	लूशियन बडियावल	31.10.2023
पी.ड.07	अर्जुनसिंह	06.07.2024

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने समर्थन में निम्न दस्तावेज को प्रदर्शित किया गयाः–

क्रम संख्या	दस्तावेज
प्रदर्श पी.01	तहरीर परिवाद
प्रदर्श पी.02	नक्शामौका
प्रदर्श पी.03	एस.पी.साहब को दिया परिवाद
प्रदर्श पी.04	ग्राम पंचायत सुनेल द्वारा रिपोर्ट
प्रदर्श पी.05 व पी.06	जमाबंदी के अनुसार प्रविष्टियां
प्रदर्श पी.07	जमाबन्दी प्रतिलिपि
प्रदर्श पी.08	चाक एफआईआर

7. साक्ष्य अभियोजन पूर्ण होने पर बन्द की जाकर बयान मुलजिम अंतर्गत

धारा 313 द.प्र.सं. लिये गये जिसमें अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना तथा साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा, परन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य सफाई पेश नहीं की गई। जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

8. बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होना कथन करते हुए अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। बहस के दौरान अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क रहा है कि घ टनास्थल का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। अभियोजन पक्ष अभियोजन कहानी को साबित नहीं कर पाया है, जो कि प्रकरण को साबित करने के लिए आवश्यक था। प्रकरण में अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है एवं अभियुक्तगण निर्दोष है। अन्त में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

9. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.08.2020 को समय करीब 6:00 बजे या इसके लगभग मौजा रघुनाथपुरा रायपुर में फरियादी के प्लाट में दीगर मुल्जिमान के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया एवं आशय से अनाधिकृत प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित किया व उनके साथ मारपीट कर उनके शरीर पर साधारण उपहतियां कारित की, जिसके प्रकोपन से लोकशांति भंग हुयी " ?

02– यदि हां, तो अभियुक्तगण किस दंड का भागीदार है ?

10. विचाारणीय बिन्दु के संबंध में न्यायालय द्वारा हस्तगत पत्रावली में उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का विधिक अपेक्षाओं का ध्यान रखते हुए अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। उभय पक्ष द्वारा दी गई दलीलों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व परीशीलन किया गया। पत्रावली पर मौजूद समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण किये जाने के पश्चात् विचारणीय बिन्दु पर न्यायालय का विनिश्चिय निम्न प्रकार है कि हस्तगत प्रकरण के प्रमाणीकरण हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाहान को परीक्षित करवाया गया है। परिवादी की पत्नी आहत/गवाह पी.ड.01 कौशल्या बाई ने अपने न्यायालय बयानों में बताया है कि उनके रिहायशी मकान का आज से करीब 10 साल पुराना पंचायत का पट्टा है। पट्टशुदा जमीन पर उन्होंने घर मकान बना रखे हैं और उनमें रह रहे है। आज से करीब 13–14 महीने पहले शाम 6 बजे करीब उनके गांव में रहने वाले नाथूलाल, दुर्गालाल, रंगलाल, प्रकाश, पूरीलाल, देवीलाल, गोरधनलाल, लालचन्द सभी मिलकर हाथों में लकड़ी डंडा लेकर उनके रिहायशी मकान पर आये ओर प्लॉट पर उसके लड़के दुधालाल के लड़ाई झगड़ा करने लगे। मुलजिमानों ने उनके व उनके मकान में रखे हुये कुदाली गेती फावडा लेकर उनके मकान की दीवार तोड़ दी और इन सारे सामानों को उठाकर ले गये। उसके लड़के ने मना किया तो सभी ने मिलकर उसे मारापीटा था। उसने और बापूलाल ने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव करवाया था। ये लोग उनके पट्टशुदा बाड़े को छीनना चाहते हैं। वह घटना की रिपोर्ट करवाने थाने पर गये थे परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिये उसके पति ने कोर्ट में आकर केस किया था। जिस पर कार्यवाही करते हुयी पुलिस ने उसके बयान लिये थे। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने यह कथन किया है कि यह बात सही है प्लाट की जगह में रोढी देवीलाल, नाथूलाल, प्रकाश, पूरीलाल ने की है और 10–11 महीने से कचरा डाल रहे है। यह कहना गलत है कि पट्टा नाथूलाल के नाम पर हो बल्कि उसके पति प्रभूलाल के नाम पर है। विवादग्रस्त प्लाट पर कब्जा उनका है लेकिन प्लाट पर काम नहीं चलने दे रहे है। यह कहना गलत है प्लाट पर काम रूकवाने के लिये देवीलाल आया हो बल्कि सभी मुलजिमान आये थे।

12. इसी क्रम में प्रकरण में अन्य गवाह/आहत पी.ड.03 दुधालाल ने अपने न्यायालय बयानों में बताया है कि दिनांक 02.08.2020 रविवार की बात है। शाम 6 बजे करीब उनके रायपुर वाले प्लॉट पर उसकी माता कौशल्या बाई काका बापूलाल और वह काम कर रहे थे। उसी समय वहां पर लालचंद, गोरधन, पूरीलाल, प्रकाश, नाथूलाल, रंगलाल, दुर्गालाल, व देवीलाल आये और सभी एक राय होकर गाली गलोच करने लगे और उन सभी को जानसे मारने की धमकी देने लगे। प्लॉट में रखे सामान को तोड़ने फोड़ने और फेंकने लगे। सभी ने एक साथ उसकी मां और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद गाली गलोच करते हुये ये सभी लोग उन्हें झूठे मुकदमें में फसाने की धमकी देते हुये प्लॉट को खाली कर देने के लिये कहा। उनके पास प्लॉट का पट्टा है और उनके कमरे बने हुये हैं। घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिस पर कार्यवाही करते हुये पुलिस ने उनके प्लॉट से सम्बंधित पट्टाए नक्शा ट्रेस गिरदावरी एवं पंचायत की लिखा पढ़ी लेकर उसके बयान लिये थे। मौके पर आकर घटना स्थल का नक्शा उसके सामने बनाया था। फर्द नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी02 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने यह कथन किया है कि यह कहना सही है कि जब मुलजिमान उसके घर पर आये थे तब वह उसके घर के अन्दर था दीवार बना रहा था। यह कहना गलत है कि उसने सभी मुलजिमान को नहीं देखा हो। इन लोगो ने आते ही उसके साथ मारपीट और गाली गलोच की थी। यह कहना सही है कि उनकी रिपोर्ट पर पुलिस ने 2–3 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं की थी।

13. इसी क्रम में प्रकरण में अन्य गवाह प्रभुलाल जो कि गवाह पी.ड02 ने अपने न्यायालय बयानों में कथन किया है कि आज से करीब 3 साल पहले की बात है। शाम 6 बजे करीब उनके रायपुर वाले प्लॉट पर उसकी घरवाली कौशल्या बाई भाई बापूलाल उसका लड़का दूघालाल काम कर रहे थे। उसी समय वहां पर नाथूलाल, रंगलाल, दुर्गालाल, लालचंद, गोरधन, पूरीलाल, प्रकाश व देवीलाल आये और सभी एक राय होकर गाली गलोच करने लगे और उन सभी को जानसे मारने की धमकी देने लगे। प्लॉट में रखे सामान को तोड़ने फोड़ने और फेंकने लगे। सभी ने एक साथ उसकी घरवाली और उसके लड़के के साथ मारपीट की। इसके बाद गाली गलोच करते हुये ये सभी लोग उन्हें झूठे मुकदमें में फसाने की धमकी देते हुये प्लॉट को खाली कर देने के लिये कहा। उनके पास प्लॉट का पट्टा है और उनके कमरे बने हुये हैं। उसने घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिस पर कार्यवाही करते हुये पुलिस ने उनके प्लॉट से सम्बंधित पट्टा, नक्शा ट्रेस, गिरदावरी एवं पंचायत की लिखा पढ़ी लेकर उसके बयान लिये थे। मौके पर आकर घटना स्थल का नक्शा उसके सामने बनाया था। उसका तहरीरी परिवाद प्रदर्श पी01 फर्द नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी02 एस.पी.साहब को दिया परिवाद प्रदर्श पी03 है जिन सभी पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। अधि**वक्ता** अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने यह कथन किया है कि यह कहना सही है कि यह कहना गलत है कि जब मुलजिमान उनके प्लॉट पर आये थे तब वह खेतों के रास्ते पर था बल्कि वहीं आ गया था। यह कहना गलत है कि उसके साथ मुलजिमानों ने कोई गाली गलोच नहीं की हो। यह कहना गलत है कि मुलजिमानों ने उनके साथ कोई मारपीट गाली गलोच नहीं की हो और उन्हें दबाने के लिये झूठा मुकदमा किया हो।

14. इसी क्रम में प्रकरण में अन्य गवाह पी.ड.05 बापूलाल ने अपने न्यायालय बयानों में बताया है कि आज से करीब तीन साल पहले की बात है, शाम को छः बजे के करीब वह उसके घर पर था। उसके परिवार का प्रभुलाल उसके पट्टे की जमीन में सरकार

से मिले प्रधानमंत्री आवास को बना रहा था। उसी समय वहा पर नाथुलाल, रंगलाल, दुर्गालाल, पूरीलाल, प्रकाश, लालचंद, गोरधन, देवीलाल और उनके परिवार के सभी लोग हाथों में लकडी, डण्डा, पत्थर लेकर आए और प्रभुलाल, दूधालाल, राकेश, कौशल्याबाई को काम करने से रोकते हुए गाली गलौच करने लग गए और प्रभुलाल के प्लॉट में जबरन घुसकर उसमें रखे सामान फावडा, तगारी, गेती को उठा कर ले जाने लगे। उन्होंने मना किया तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट करने लग गए। हमने बचाना चाहा परन्तु मुलजिमान नहीं माने और प्रभुलाल के प्लॉट में रखे हुए सामान को ले गए और नुकसान भी किया था। प्रभुलाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने उसके बयान लेकर घटनास्थल का नक्शामौका प्र०पी०3 बनाया था फिर समझाया था जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता **अभि**युक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने यह कथन किया है कि ये बात सही है कि उसका मकान और प्रभुलाल के मकान के बीच में पचास फिट की दूरी है। उसके मकान से विवादग्रस्त जगह 10–15 फिट दूर है। ये बात सही है कि उक्त प्लॉट पर नाथूलाल वगैरह ने गड्डा खोद रखा है। वह घटना के वक्त मौके पर ही था। मौके पर और कोई उपस्थित नहीं था। पुलिस ने उसके बयान मौके पर लिए थे। प्लॉट दूधालाल का था। पुलिस ने नक्शेमौके पर पर उसके हस्ताक्षर मौके पर करवाकर उसे पढ़कर सुनाया था। ये बात सही है कि प्लॉट के सामने नाथूलाल वगैरह का मकान भी है। ये रेवडी विवादग्रस्त प्लॉट में है। और यह बात सही है कि मुलजिमान इस रेवडी में गोबर डालते रहतें हैं।

15. इसी क्रम में प्रकरण में अन्य गवाह पी.ड.04 चन्द्रशेखर शर्मा ने अपने न्यायालय बयानों में बताया है कि दिनांक 04.03.2021 को वह ग्राम पंचायत रायपुर मुख्यालय सुनेल में वी.डी.ओ. के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस थाना रायपुर वालों ने रुघनाथपुरा गांव के प्रभुनाथ की रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए विवादित जमीन एवं पट्टे से संबधित रिपोर्ट ग्राम पंचायत से मांगी थी। कार्यालय ग्रामपंचायत रायपुर में मिले रिपोर्ट के अनुसार उसके द्वारा एवं सरपंच साहब विष्णुप्रसाद द्वारा संबधित रिपोर्ट प्रद्रर्श पी.04 जारी की गई थी जिस पर ए. से बी. उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने यह कथन किया है कि यह कहना सही है कि विवादित स्थल से संबधित पट्टे का रिकॉर्ड पंचायत कार्यालय रिकॉर्ड में नहीं मिला था क्योंकि कार्यालय संबधित अधिकतर रिकॉर्ड जिला परिषद में जमा था। यह कहना गलत है कि वह विवादित स्थल पर मौका देखने नहीं गया था। पट्टे का क्षेत्रफल 35 बाई 70 का बताया था। यह कहना सही है कि विवादित स्थल पर किसका कब्जा था ये वह आज नहीं बता सकता।

16. इसी क्रम में प्रकरण में अन्य गवाह पी.ड.06 लूशियन बडियावल ने अपने न्यायालय बयानों में बताया है कि दिनांक 15.03.2021 को वह पटवारी हल्का रायपुर के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस थाना पिड़ावा को रघुनाथपुरा गांव के खसरा नंबर 165 गैरमुमकिन पंचायत सेसंबंधित नक्शा ट्रैस, खसरा गिरदावरी, जमाबंदी की प्रमाणित प्रति उसके द्वारा दी गई थी जो प्रदर्श पी०5 लगायत प्र०पी07 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने यह कथन किया है कि यह कहना सही है कि वह मौके पर नहीं गया था। यह कहना सही है कि खसरा नंबर पुलिस ने बताया था। यह कहना सही है कि विवाद के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि खसरा नबंर 165 सरकारी भूमि थी।

17. प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.ड.07 अर्जुनसिंह ने अपने न्यायालय बयानों में बताया है कि दिनांक 02.01.2021 को वह थाना रायपुर पर एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन में थाना इन्चार्ज भी था। न्यायालय एमजेएम पिडावा से एक इस्तगासा 156 (3) सीआरपीसी का जरिये डाक प्राप्त हुआ। इस्तगासा के आधार पर

उसके द्वारा एफआईआर 04/2021 दर्ज कर उसके द्वारा अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। फरियादी व गवाहानों के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किए गए तथा नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी.03 बनाया जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। चाक एफआईआर प्रदर्श पी.08 व कार्यवाही पुलिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं व रिवेन्यू रिकॉर्ड व पट्टा पत्रावली में साथ संलग्न किया गया। अनुसंधान से मुलजिमान नाथूलाल, रंगलाल, दुर्गालाल, पूरीलाल, प्रकाश, देवीलाल, लालचंद, गोरधन के खिलाफ 143,323,341,504,447,427 भादस का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर पत्रावली न्यायालय में नतीजा पेश करने हेतु एसएचओ साहब को पेश की। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने यह कथन किया है कि यह कहना गलत है कि मुकदमा मौखिक दर्ज किया हो बल्कि न्यायालय के इस्तगासा के आधार पर दर्ज किया था। यह बात सही है कि घटना के सात माह बाद रिपोर्ट दर्ज हुई थी। यह बात सही है कि परिवादी ने माननीय न्यायालय में इस्तगासा घटना के 11 दिन बाद पेश किया था। यह बात सही है कि भूखण्ड से संबंधित असल पट्टा पत्रावली में संलग्न नहीं है। यह बात सही है कि फरियादी का मैडिकल मुआयना भी पत्रावली में संलग्न नहीं है। यह बात सही है कि फरियादी के चोटों के निशान शरीर पर नहीं थे। मैने अनुसंधान इस्तगासा के आधार पर किया था। नक्शामौका प्र०पी०3 कितनी तारीख को बनाया आज याद नहीं है। यह बात सही है कि विवादग्रस्त जगह मुलजिमान की गोबर की रेवडी है और मुलजिमान उस गोबर की रेबडी में आते जाते हैं। गवाहों के बयान थाने पर व मौके पर लेखबद्ध किए थे। यह बात सही है कि उसने जो इस्तगासा में लिखा वही एफआईआर में लिखा। यह बात सही है कि इसके अलावा उसने कोई अनुसंधान नहीं किया। यह बात सही है कि पावडे और गेती व अन्य सामान मुलजिमान ने मौके से चोरी नहीं किए। यह बात सही है कि आसपास के गवाहों के बयान नहीं लिए। ।

18. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान बयानों व प्रदर्शित दस्तावेजों के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि सर्वप्रथम प्रकरण में गवाह/आहत पी.ड. 01 कौशल्या बाई ने अपने न्यायालय बयानों में बताया है कि उनके गांव में रहने वाले नाथूलाल, दुर्गालाल, रंगलाल, प्रकाश, पूरीलाल, देवीलाल, गोरधनलाल, लालचन्द सभी मिलकर हाथों में लकड़ी डंडा लेकर उनके रिहायशी मकान पर आये ओर प्लॉट पर उसके लड़के दुधालाल के लड़ाई झगड़ा करने लगे। मुलजिमानों ने उनके व उनके मकान में रखे हुये कुदाली गेती फावडा लेकर उनके मकान की दीवार तोड़ दी और इन सारे सामानों को उठाकर ले गये। उसके लड़के ने मना किया तो सभी ने मिलकर उसे मारापीटा था। इसी प्रकार अन्य गवाह/आहत ने पी.ड.03 दुधालाल ने अपने न्यायालय बयानों में बताया है कि उसके रिहायशी प्लॉट पर लालचंद, गोरधन, पूरीलाल, प्रकाश, नाथूलाल, रंगलाल, दुर्गालाल, व देवीलाल आये और सभी एक राय होकर गाली गलोच करने लगे और उन सभी को जानसे मारने की धमकी देने लगे व प्लॉट में रखे सामान को तोड़ने फोड़ने और फेंकने लगे। उसके पास प्लॉट से सम्बंधित पट्टाए नक्शा ट्रेस गिरदावरी एवं पंचायत की लिखा पढ़ी है। जिसकी पुष्टि प्रदर्श पी.2 फर्द नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी02 से होती है। उपरोक्त आहतगण के बयानों की पुष्टि करते हुए स्वतंत्र गवाहान पी.ड.2 प्रभूलाल व पी.ड.05 बापूलाल ने कथन किया है कि दीगर मुल्जिमान के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया व आहत/गवाह कौशल्या बाई व दुधालाल के साथ मारपीट व गालीगलोच करने व कब्जे के प्लाट में मकान नहीं बनाने देने के आशय से अनाधिकृत प्रवेश कर आपराधिक अतिचार करने का स्पष्ट कथन किया है। इस प्रकार अन्य गवाह/पटवारी पी.ड. 06 लूशियन बडियावल ने कथन किया है कि रघुनाथपुरा गांव के खसरा नंबर 165 गैरमुमकिन पंचायत सेसंबंधित नक्शा ट्रैस, खसरा गिरदावरी, जमाबंदी की प्रमाणित प्रति उसके द्वारा दी गई थी जो प्रदर्श पी०5 लगायत प्र०पी07 से होती है व खसरा नबंर 165 सरकारी भूमि है। अतः दिनांक 02.08.2020 को समय करीब 6:00 फरियादी के प्लाट में दीगर मुल्जिमान के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया एवं आशय से अनाधिकृत प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित किया व उनके साथ मारपीट कर उनके

शरीर पर साधारण उपहतियां कारित की, जिसके प्रकोपन से लोकशांति भंग हुयी। अतः पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आरोपति अपराध अंतर्गत धारा 143,323,341,504,447,427, भा.दं.सं. में संदेह से परे साबित होता है।

–:: आदेश ::–

19. लिहाजा अभियुक्तगण 01. नाथुलाल पुत्र गोपीलाल 02. रंगलाल पुत्र नाथुलाल 03. दुर्गालाल पुत्र नाथुलाल 04. पुरीलाल पुत्र भैरूलाल 05. प्रकाश पुत्र भैरूलाल 06. देवीलाल पुत्र गोपीलाल 07. लालचन्द पुत्र कन्हीराम 08. गोरधन पुत्र लालचन्द निवासीगण रघुनाथपुरा थाना रायपुर जिला झालावाड़ राज. को आरोपति अपराध अंतर्गत धारा 143,323,341,504,447,427, भा.दं.सं. में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(अमितेश कुमारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिडावा
जिला झालावाड़(राज.)

सजा के बिन्दु पर सुनवायीः–

20. दण्ड के प्रश्न पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त को सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण का कथन है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। उसे किसी भी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया जाकर परिवीक्षा पर नहीं छोडा गया है। अभियुक्त वर्ष 2021 अन्वीक्षा भुगत रहा है। अतः अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए परिवीक्षा प्रावधानों का लाभ दिये जाने का निवेदन किया है। इसका विरोध करते हुए विद्वान् सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

21. उभय पक्ष के तर्को पर विचार किया, पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर पूर्व में कोई दोषसिद्धि का तथ्य विद्यमान नहीं है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे प्रकट होता हो कि अभियुक्तगण को पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण में दण्डित किया गया हो और उसे परिवीक्षा पर छोडा गया हो। अभियोजन द्वारा भी इस संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है। अभियुक्तगण कई वर्षो से अन्वीक्षा की पीडा भुगत रहा है। अभियुक्तगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र कमांकः 03/पीआई/ की पालना में यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि उसे पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है ना ही उसने किसी प्रकरण में पूर्व में परिवीक्षा का लाभ प्राप्त किया है। अतः प्रकरण के तथ्यों, अभियुक्तगण की परिस्थिति व अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: दण्डादेश ::–

22. अतः अभियुक्तगण 01. नाथुलाल पुत्र गोपीलाल 02. रंगलाल पुत्र नाथुलाल 03. दुर्गालाल पुत्र नाथुलाल 04. पुरीलाल पुत्र भैरूलाल 05. प्रकाश पुत्र भैरूलाल 06. देवीलाल पुत्र गोपीलाल 07. लालचन्द पुत्र कन्हीराम 08. गोरधन पुत्र लालचन्द निवासीगण रघुनाथपुरा थाना रायपुर जिला झालावाड़ राज. को. को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 143,323,341,504,447,427 भा.दं.सं. के आरोप में दोषसिद्ध के लिए तुरन्त कारावास या जुर्माने से दण्डित नहीं किया जाकर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 04 का लाभ

दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त 10,000–10,000/– हजार रूपए का बंधपत्र दो वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तो के साथ पेश कर तस्दीक करवा देवे कि वह उक्त अवधि में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, शांति व सद्व्यवहार बनाये रखेगा तथा न्यायालय के द्वारा आहुत करने पर उपस्थित होकर सजा भुगतेगा, तो उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाकर सद्व्यवहार की परिवीक्षा पर छोडा जावे। साथ ही अभियुक्तगण धारा 05 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत राशि 4000/– रूपए अभियोजन व्यय भी अधिरोपित किया जाता है अभियुक्तगण पर उक्त दोषसिद्धि धारा 12 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत निर्योग्यता नहीं समझी जावेगी।

23. अभियुक्त की उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभू एवं बंधपत्र तत्क्षण भार से उन्मोचित किये जाते है।

24. हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पूर्व में सुपुर्दगी पर दिया गया है, उक्त सुपुर्दगीनामा, जमानतनामा बाद गुजरने मियांद अपील/निगरानी, अपील नहीं होने की सूरत में उन्मोचित समझे जावे।

25. निर्णय की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दिलवाई जावे।

(अमितेश कुमारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिडावा
जिला झालावाड़(राज.)

26. निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 को मुझ अद्योहस्ताक्षर कर्ता द्वारा लिखाया जाकर, हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर न्यायालय मुद्रा से मुद्रांकित करवाया गया।

(अमितेश कुमारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिडावा
जिला झालावाड़(राज.)

प्रमाण पत्र

निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

APP (सागर मीणा)
आशुलिपिक

नोटः–यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.05.14 10:16:17 IST